

## कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- [dfotnbetul@mp.gov.in](mailto:dfotnbetul@mp.gov.in)

क्रमांक/मा0चि0/2026/ 2162

बैतूल, दिनांक 08/04/2026

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,  
डब्ल्यू.सी.एल. पाथाखेड़ा क्षेत्र,  
जिला बैतूल, म.प्र.

विषय :- वनमंडल उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र सारनी के ग्राम गांधीग्राम के रकबा - 25.866 हे. राजस्व वनभूमि में (तवा-3) भूमिगत कोयला उत्खनन का व्यपवर्तन का प्रस्ताव - मेसर्स वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड बैतूल। (FP/MP/MIN/20919/2016)

संदर्भ :- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPC-001/2018-BHO/ 430 दिनांक 27.05.2021 एवं पत्र क्रमांक / 6-MPC-001/2018-BHO दिनांक 19.10.2024  
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल का पृ. पत्र क्रमांक / वन्यजीव / व.त.अ.- 1/ MINE-243/ 7914 दिनांक 08.09.2026 एवं 2695 दिनांक 18.03.2026

--00--

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 27.05.2021 एवं दिनांक 19.10.2024 से विषयांकित प्रकरण में सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है।


उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक - 3 (a) के परिपालन में वनमंडल कार्यालय के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2026/ 316 दिनांक 02.03.2026 से वन्य जीव संरक्षण योजना तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2026 से वन्य जीव संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाकर योजना में प्रावधानित राशि रुपये 2,86,46,820/- (दो करोड़ छियास्सी लाख छियालीस हजार आठ सौ बीस रुपये मात्र) एकमुश्त कैम्पा मद में जमा कराये जाने हेतु आपको लेख किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि निर्देशानुसार एकमुश्त कैम्पा मद में जमा कराई जाकर वनमंडल कार्यालय को अवगत करावें साथ ही भारत सरकार के संदर्भित पत्रों द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का एकजाई शर्तवार पालन प्रतिवेदन (टेबुलर फार्म में) मय आवश्यक वचन-पत्रों के साथ संलग्न कर वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत किया जावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

- प्रतिलिपि :-
- 1.- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर आपके संदर्भित पृ. पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
  - 2.- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
  - 3.- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।

  
 वनमण्डलाधिकारी  
 उत्तर बैतूल (सा10) वनमंडल

-10-